राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या 155/18 केम्प ग्राम पंचायत रूपपुरा (रोहिन्डी)

वादी बनाम प्रतिवादीगण,

पूर्णसिंह तहसीलदार

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक :– 5/6/18

Web Copy - Not Official

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री पूर्णसिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम जसराना के खाता सख्या/खसरा नम्बर 373,384,405,448,450 681/517 में श्री पूर्णमल पुत्र धन्नाराम जाति जाट अंकित हो गया है, जो सही नही है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम पूर्णसिंह पुत्र धन्नाराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर रिपोर्ट कैम्प रूपपुरा (रोहिन्डी) में पेश करे। पत्रावली केम्प रूपपुरा (रोहिन्डी) में पेश हुई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु कैम्प रूपपुरा (रोहिन्डी) मे दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 373, 384, 405, 449, 450, 681/516 में वादी श्री पूर्णमल पुत्र धन्नाराम जाट निवासी जसराना की जगह वादी का सही नाम पूर्णसिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराना दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 5/6/18 को सरे आम कैम्प रूपपुरा (रोहिन्डी) में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)